संख्याः 486/XXXVIII/08–59/वि0प्रौ0/2008

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
2. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी,
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादूनः दिनॉकः 02 अगस्त, 2008

विषयः राज्य प्राकृतिक संसाधन प्रणाली, उत्तरांचल (State Natural Resources Management System) का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पूर्व पत्र संख्याः 938/XXXVIII/17–वि0प्रौ0/2006, दिनॉकः 31.08.2006 का संदर्भ ग्रहण करें (सुलभ संदर्भ हेतु संबंधित पत्र की छायाप्रति संलग्न है)। इस पत्र द्वारा उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (U-SAC) को प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सराकर द्वारा स्यायत्त संस्था के रूप में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना वर्ष 2005 में की गई ताकि अंतरिक्ष तकनीकी का सदुपयोग राज्य में विकास योजनाओं के ईष्टतम व कुशलतम नियोजन, कियान्वयन व अनुश्रवण में किया जाए एवं राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को sustainable आधार पर उपयोग किया जा सके। केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन (Remote Sensing) भौगोलिक सूचना सिस्टम (Geographical Information System-GIS), ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम, (Global Positioning System-GPS) तथा विकास संबंधी संचार व्यवस्था (Developmental Communication System) EDUSAT, टेलीमेडिसिन एवं टेली एजुकेशन सहित राज्य में राज्य से संबंधित सेटेलाइट आंकड़ों की अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है।

...............2/–

3. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विभाग अपनी प्रत्येक चालू व नई योजनाओं के नियोजन, कियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण तथा प्रभाव आंकलन आदि के लिए जहॉ भी आवश्यकता हो अंतरिक्ष तकनीकी व ज्ञान का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें तथा इस हेतु उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (U-SAC) से सहयोग प्राप्त करेगें एवं समन्वय करेगें। उक्त अपेक्षा की पूर्ति हेतु प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें कियान्वयन विभाग/संस्था के विभागाध्यक्ष्ज्ञ तथा यू–सैक के निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित वैज्ञानिक सदस्य होगें, द्वारा इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा कि अन्तरिक्ष तकनीकी व ज्ञान तथा U-SAC का विकास योजनाओं के नियोजन, कियान्वयन व अनुश्रवण में उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव।

संख्याः 456 (1)/XXXVIII/08–59/वि0प्रौ0/2008, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. सचिव/अध्यक्ष, अन्तरिक्ष विभाग/इसरो, अन्तरिक्ष भवन, न्यु बेल रोड, बंगलौर–560094
4. निदेशक, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद।
5. निदेशक, नेशनल रिमोट सैसिंग एजेन्सी, अहमदाबाद।
6. हैड, क्षेत्रीय रिमोट सैसिंग सर्विस सेन्टर, देहरादून।
7. निदेशक, एन0एन0आर0एम0एस0/ई0ओ0एस0.....
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

धक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

देहरादून : दिनांकः 31 अगस्त, 2006

विषयः राज्य प्राकृतिक संसाधन प्रणाली, उत्तरांचल (State Natural Resources Management System) का गठन किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उत्तरांचल अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की गवर्निंग बॉडी की बैठक दिनांकः 27.01.2006 में लिये गये निर्णय के कम में प्रदेश के चहुमुखी विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित एवं सुनियोजित दोहन, विकास एवं प्रबन्धन तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का न्यूनीकरण में सुदूर संवेदन एवं जी0आइ0एस0 तकनीक की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये महामहिम श्री राज्यपाल प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली, उत्तरांचल के गठन की सहर्ष स्वीकृति इस आशय से प्रदान करते है कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इस नवीनतम तकनीक के उपयोग से जनसाधारण को लाभान्वित किया जा सके।

2– उत्तरांचल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ उत्तरांचल अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, USAC को प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली उत्तरांचल के विभिन्न कार्य संचालन हेतु नोडल एजेन्सी नामित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली उत्तरांचल का कियान्वयन निम्नानुसार होगा :–

2.1– उत्तराचंल राज्य में, भारत सरकार के नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेण्ट सिस्टम (एन.एन.आर.एम.एस) के अनुरूप उत्तरांचल स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेण्ट सिस्टम का गठन एक समन्वित प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत उत्तरांचल के समस्त प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, विकास एवं प्रबन्धन सम्बन्धी आंकड़ों का सृजन सुदूर संवेदन,जी.आई.एस. तथा पारम्परिक तकनीक के समन्वय से किया जाएगा।

2.2– प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली, उत्तरांचल का संचालन एवं नियन्त्रण मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों सम्बन्धी गठित उप समितियों के माध्यम से होगा।

2.3– प्राकृतिक ससाधन प्रणाली उत्तरांचल के संचालन हेतु एक उच्च स्तरीय का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव कृषि	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव राजस्व विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव आवास विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव शहरी विकास	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य बिकास विभाग	सदस्य
प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
विभागाध्यक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
विभागाध्यक्ष वन विभाग	सदस्य
विभागाध्यक्ष नियोजन	सदस्य
विभागाध्यक्ष औद्योगिक विकास	सदस्य
विभागाध्यक्ष कृषि	सदस्य
विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग	सदस्य
विभागाध्यक्ष राजस्व विभाग	सदस्य
विभागाध्यक्ष आवास विभाग	सदस्य
विभागाध्यक्ष शहरी विकास	सदस्य
विभागाध्यक्ष ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
विभागाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
निदेशक अर्थ आब्जरवेशन सिस्टम, अन्तरिक्ष विभाग	सदस्य
निदेशक नेशनल रिमोट सैन्सिंग ऐजेन्सी हैदराबाद	सदस्य
निदेशक अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद	सदस्य
निदेशक, उत्तरांचल अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून	सदस्य सचिव

2.4– <u>समिति के दायित्व</u> :–

(क)– उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रणाली, उत्तरांचल के संचालन के सम्बंध में आवश्यक नीति विषयक बिन्दुओं का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) विभिन्न उप समितियों के गठन, अनुश्रवण एवं दिशा निर्देशन सम्बंधी कार्य किया जाएगा।

(ग) उच्च स्तरीय समिति प्रदेश के विभिन्न उपयोग कर्ता विभागों User Department की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधन जैसे परती भूमि, भू–उपयोग/भू–आच्छादन, कृषि एवं मृदा संसाधन, वन, जल संसाधन, शहरी विकास इत्यादि सम्बंधी सामुचित आंकड़ों के सृजन एवं जी.आई. एस. के माध्यम से सामाजिक/आर्थिक आंकड़ों के साथ एकीकृत करने सम्बंधी दिशा–निर्देश भी प्रदान करेगी।

(घ) उच्च स्तरीय समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी।

2.5– प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली, उत्तरांचल के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित उप समितियॉ गठित की जायेंगी, जिनकी अध्यक्षता प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जायेगी। उपसमितियों हेतु सदस्यों का चयन उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

1.	उपसमिति	कृषि, उद्यान एवं मृदा
2.	उपसमिति	जल संसाधन
3.	उपसमिति	वन एवं पर्यावरण
4.	उपसमिति	भू–संसाधन नगरीय सर्वेक्षण एवं भू उपयोग
5.	उपसमिति	नियोजन, ग्राम्य विकास एवं एकीकृत सर्वेक्षण
6.	उपसमिति	आपदा प्रबन्धन
7.	उपसमिति	तकनीकी विस्तार, प्रशिक्षण एवं सेतायोजन।

राज्य की आवश्यकतानुसार उपसमितियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकती है।

2.6– <u>उपसमितियों के दायित्व निम्नवत होंगे:</u>

(क) प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन एवं विकास की दिशा में सुदूर संवेदन तकनीक की उपयोगिता का मूल्यांकन करना।

(ख) प्रदेश के विकास में प्राकृतिक संसाधनों के सामुचित उपयोग एवं प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये यह तय करेगी कि इनमें कितना कार्य वर्तमान/भविष्य में सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(ग) पारम्परिक एवं सुदूर संवेदन तकनीक के सामंजस्य द्वारा संसाधन प्रबन्धन के बेहतर तरीकों को चिन्हित करेगी।

घ) प्रदेश के संसाधन प्रबन्धन सम्बन्धी सूचना प्रणाली का आधारभूत ढांचा तैयार करेगी जो कि नगरीय सर्वेक्षण एवं भू–उपयोग की उप समिति एक अरबन इन्फारमेशन सिस्टम तथा आपदा प्रबन्धन उप समिति एक डिसास्टर मेनेजमेन्ट सिस्टम स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही करेगी।

...कार्यक्रमों में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न आंकड़ों को समन्वित करने सम्बन्धी तरीकों में भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) एवं इन्टीग्रेटेड माडलिंग की आवश्यकता को अनुमोदित करेगी।

(च) प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र प्रबन्धन के क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीक की उपयोगिता को और प्रभावी बनाने हेतु संसाधन विशेष प्रमुख कार्यक्षेत्रों से सम्बन्धित 'कोर ग्रुप' गठित करेगी जो कि संसाधनों के कार्यक्षेत्र में हुयी तकनीक प्रगति तकनीकी प्रगति का मूल्यांकन करेगी।

(छ) उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्त पोषण प्रदान करने वाली संस्थाओं को चिन्हित करते हुये प्रदेश स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं का सृजन करेगी।

2.7– प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन प्रणाली, उत्तरांचल के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सुदूर संवेदन एवं जी0आई0एस0 तकनीकी के अपरेशनल योगदान की कार्यप्रणाली विकसित की जायेगी तथा End To End परियोजनाएं सम्पादित की जायेगी, जो कि प्रदेश के समुचित विकास में तकनीक की उपयोगिता एवं प्रचार–प्रसार में सहायक सिद्ध होगी।

अन्ततः इस प्रकार प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से सृजित उक्त समस्त प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी आंकड़ों का एक डाटा बैंक स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया जायेगा, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास कार्यक्रमों को और त्वरित गति प्रदान की जा सकेगी।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 938/XXXVII(1)/17–वि0प्रौ0/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

02-04-2003.